न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 435/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. कमरूदीन पुत्र हकीम खां के कायम मुकामान– 1/1 मैना पत्नि कमरूदीन 1/2 नाहरखां पुत्र कमरूदीन 1/3 मुमताज पुत्री कमरूदीन 1/4 शहनाज बानो पुत्री कमरूदीन 1/5 सलमा पुत्री कमरूदीन 1:6 राबिया पुत्री कमरूदीन जाति तेली मुसलमान निवासी गांव इन्द्रोका की ढाणी तहसील रोहट जिला पाली 2. सतार मोहम्मद पुत्र हकीम खां के कायम मुकामान– 2/1 रिमजान खान पुत्र सतार मोहम्मद 2/2 शेर खान पुत्र सतार मोहम्मद 2/3 फिरोज खान पुत्र सतार मोहम्मद 2/4 रोशन बानु पत्री सतार मोहम्मद 2/5 मैना पत्नि सतार मोहम्मद जाति तेली मुसलमान निवासी गांव इन्द्रोका की ढाणी तहसील रोहट जिला पाली		1. सईदा उर्फ सदिया पत्नि समसुदीन जाति तेली मुसलमान निवासी गांव इन्द्रोका की ढाणी तहसील रोहट जिला पाली 2. जैतून पुत्री हकीम खां जाति तेली जाति तेली मुसलमान निवासी गांव सारंगा तहसील सोजत जिला पाली 3. टीमली पुत्री हकीम खां जाति तेली मुसलमान निवासी गांव इन्द्रोका की ढाणी तहसील रोहट जिला पाली 4. ईस्माईल खां पुत्र मांगूखॉ जाति तेली मुसलमान निवासी गांव धिनाणा तहसील सोजत जिला पाली 5. ताज मोहम्मद पुत्र सुगरा पुत्री हकीम खां जाति तेली मुसलमान निवासी गांव धाकडी तहसील सोजत जिला पाली 6. भुडी पुत्री सुगरा पुत्री हकीम खां जाति तेली मुसलमान निवासी गांव चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली 7. तहसीलदार पाली जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार (भू.अ.) पाली द्वारा दिनांक 03.07.2018 बमुकाम वसीयत मुकदमा संख्या 22/2017 बअनवान सईदा उर्फ सदिया बनाम मृतक हकीम खा के कायम मुकाम एवं तहसीलदार पाली द्वारा उस आदेश की पालना में म्यूटेशन संख्या 1865 दिनांक 12.07.2018 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थितीः–

1. श्री इन्द्रराज चौधरी, श्री बलवीर चौधरी, अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र ए राजपुरोहित अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री नारायण चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2 ता 6 की ओर से।
4. श्री नवलसिंह दहिया, रा0 अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 19 दिसम्बर, 2022

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट संख्या एक के सगे मामा हकीम खां पुत्र श्री बुधाखां जाति तेली मुसलमान निवासी गांव इन्द्रोका की ढाणी वर्तमान तहसील रोहट पूर्व में तहसील पाली के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त आराजी जो कि सरहद मौजा भांगेसर तहसील पाली में स्थित है जिसके खसरा न0 7 कुल रकबा 19 बीघा 2

बिस्वा की आराजी में से 10 बीघा की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम जरिये वसीयतनामा दिनांक 17.01.1982 को की थी और रेस्पोडेन्ट संख्या एक के मामा हकीम खां का इंतकाल हो चुका है असल वसीयत जो हकीम खां ने रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में तकमील की थी उसकी फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की गयी तथा वसीयतसुदा आराजी पर आज भी मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक का कब्जा काश्त कायम है अतः रेस्पोडेन्ट संख्या एक उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से अमल दरामद करवाना चाहती है इस्लिये रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम उक्त वसीयत के आधार पर उपरोक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज कि जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2017 को दर्ज किया गया और अप्रार्थी मृतक हकीम खां के कायम मुकाम जो पटवारी भांगेसर ने अपनी रिपोर्ट में सत्तार, कमरूदीन (दो पुत्र) जैतुन बानो, टीमली बानो (दो पुत्रीयां) बताये, को नोटिस जारी किये गये। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक को वसीयत की सत्यता व स्वअर्जन प्रमाण सिद्व हेतु नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात् दिनांक 26.02.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या एक व घीसु मोहम्मद के बयान लिये गये।

अधिनस्थ न्यायालय के कोर्ट कैम्प में दिनांक 09.06.2018 को अपीलांटस ने उपस्थित होकर अपीलांट के पिता हकीम खा का देहान्त हो जाने पर उनके वारिसान के नाम फौतेदगी नामान्तकरण दर्ज करने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि रेस्पोडेट संख्या एक ने अपने हक में जो वसीयत बतायी गयी है जो वसीयत फर्जी व कुटरचित है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.0.7.2018 को वसीयत के आधार पर ग्राम भागेसर के खसरा न0 7 की 10 बीघा भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया एवं तहसीलदार पाली ने इस आदेश की पालना में म्यूटेशन संख्या 1865 दिनांक 12.07.2018 को स्वीकृत किया गया। तहसीलदार पाली के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रावधानो के विपरित होने एवं क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किया है। अपीलान्ट के पिता हकीम खॉ का देहान्त होने पर सर्वप्रथम हकीम खॉ के उत्तराधिकारियों के नाम फौतेदगी नामा0 भरा जाना चाहिये था जो नहीं भरा जाकर भारी भूल की है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया था कि हमारे पिता की कृषि भूमि ग्राम भांगेसर के ख0सं0 7 रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा आई हुई है, हमारे पिता के देहान्त पश्चात उनके वैध वारिसान के नाम नामा0 भरने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया फिर भी तहसीलदार पाली कर ने गौर न करके रेस्पो0 संख्या एक द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर नामा0 दर्ज करने का आदेश पारित किया गया जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि हकीम खॉ ने अपने जीवनकाल

शिक्षा सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकार की नौबत नहीं आई थी तथा रेस्पो0 संख्या एक ने हकीमखॉं की भाणजी बताकर अपने हक में तथाकथित वसीयत होना बताया है, वो वसीयत फर्जी है। उक्त वसीयत के सम्बन्ध में एक प्रथम सूचन रिपोर्ट संख्या 207/2018 पुलिसथाना सदर पाली में दर्ज कराई गई थी जो प्रकरण विचाराधीन है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हकीम खॉं के पुत्रों व पुत्रियों को अपनी विरासत से वंचित करते हुए अनरजिस्टर्ड व कुटरचित वसीयत के आधार पर रेस्पो0 संख्या एक के नाम नामा0 भरने का आदेश दिया है। विभिन्न प्रकरणों में उच्च स्तरीय न्यायालय के द्वारा बार–बार प्रतिपादित किया है कि जब किसी वसीयत से प्राकृतिक वारिसान को विरासत से वंचित किया जाता है तो ऐसी वसीयत प्रथम दृष्टया संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई मानी जाती है जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार सदभावित व सन्देह से परे सिद्ध करने का दायित्व वसीयत के लाभार्थी का है। ऐसे में उसको साबित नहीं कर दिया जाता तब तक रेस्पो0 को कोई हक नहीं मिल सकता है। वसीयत के लाभार्थी को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा करवानी होगी। इसलिये कानूनन उत्तराधिकारियों के विरूद्ध ऐसी वसीयत को आधार नहीं बनाया जा सकता है। इस आधार पर भी आदेश निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 के द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 17.1.1982 को होना बताया है। जबकि इतने वर्ष यानि 35 वर्ष बाद अपने नाम से म्यूटेशन दर्ज करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अपने आप में संदेहास्पद है। ऐसे दस्तावेज के आधार पर बिना सिद्ध किये कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है तथा मुस्लिम लॉ के अनुसार एक व्यक्ति अपनी जायदार में से 1/3 हिस्से से ज्यादा किसी के हक में वसीयत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट ग्राम भांगेसर में अधिनस्थ न्यायालय के कैम्प कोर्ट दिनांक 9.6.18 को फौतेदगी नामा0 भरवाने हेतु गया था तब उन्होने कहा कि हकीम खॉं के वारिसान के नाम सम्पूर्ण भूमि का नामा0 भर देगें इसलिये अपीलान्ट यही विश्वास में रहा कि हमारे नाम नामा0 हो जायेगा एवं बाद में अपीलान्ट गंभीर रूप से बीमार होन जाने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया, अभी हाल ही में दिनांक 12.10.18 को अपीलान्ट के गांव में चर्चा सुनी कि रेस्पो0 संख्या एक ने वसीयत के आधार पर अपने नाम से नामा0 भरवा लिया है तब अपीलान्ट ने दिनांक 12.10.18 को ही तहसील कार्यालय पाली में पता कर दिनांक 16.10.18 को नकले प्राप्त की। तब उसे प्रथम बार जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को उक्त आधार पर कन्डोन करते हुए अपील को अन्दर म्याद मान निर्णित किया जावें तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.7.2018 को निरस्त करते हुए हकीम खॉं के वारिसान के नाम सम्पूर्ण भूमि का फौतेदगी नामा0 भरने का आदेश प्रदान करावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीरे पेश की यथाः 2004 (3)डीएनजे राज 1330, 2002 (3)आरआरटी पेज 77, 2003 (1)आरआरटी पेज 650, 2007 (3)सीसीसी पेज 369, 2021 (2)डीएनजे पेज 964, 4 Sura 4 Begat 11, 12, 13, 14, [illegible] एआईआर 1987 कर्ना. पेज 222, 2008 (4)सीसीसी पेज 737,

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष श्री हकीम खॉ के द्वारा उनके पक्ष में की हुई वसीयतनामें के आधार पर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी का नाम से अमल दरामद करवाने हेतु दिनांक 27.11.2017 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें उनके सगे मामा श्री हकीम खॉ वल्द बुद्धाखॉ जाति तेली मुसलमान साकिन इन्द्रो का की ढाणी, वर्तमान में तहसील रोहट पूर्व में तहसील पाली के नाम की खातेदारी की कब्जा काश्त की आराजी जो कि सरहद मौजा भांगेसर तहसील पाली में स्थित है जिसके ख0सं0 7 कुल रकबा 19.02 बीघा की आराजी में से रकबा 10 बीघा भूमि में रेस्पो0 के नाम जरिये वसीयतनामा के दिनांक 17.01.1982 को की थी और मेरे मामा श्री हकीम खॉ का इन्तकाल हो चुका है जिसकी फोटो प्रति संलग्न प्रस्तुत की जा रही है। उक्त वसीयतनामें में अंकित आराजी पर मौके पर आज भी उनका कब्जा व काश्त कायम है। अब मैं उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से अमल दरामद करवाना चाहती हूँ। अतः उक्त आराजी का वसीयतनामें के माफिक रेस्पो0 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का भांगेसर को आदेश प्रदान करावें। जिसके कम में तहसीलदार महोदय के द्वारा पटवारी हल्का से वंस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जिसमें भी मुझ रेस्पो0 संख्या एक सदिया का 40 वर्षो से कब्जा होना बताया था।

अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण संख्या 22/2017 अनवान सदीया बनाम मृतक वसीयतकर्ता हकीमखॉ पुत्र बुद्धाखॉ तैली दर्ज करते हुए श्री हकीमखॉ खातेदारान के वारिसान को नोटिस जारी किये गये थे तथा वसीयत की सत्यता व स्वअर्जन प्रमाण सिद्ध हेतु रेस्पो0 संख्या एक को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 26.2.18 नियत की गई। दिनांक 26.04.2018 को अपीलान्ट कमरूदीन एवं अपीलान्ट सतार अपने अधिवक्ता के साथ तहसील कार्यालय में उपस्थित होते है। तत्पश्चात दिनांक 9.6.2018 को अपीलान्ट कमरूदीन व अपीलान्ट सतार के द्वारा अपने को श्री हकीम खॉ का उत्तराधिकारी बताकर अपने पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार महोदय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया था।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मुझ रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में लिखी गई वसीयत के दस्तावेज के डीड राईटर घीसू मोहम्मद जो आज भी जीवित है, के द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वसीयत को सही बताया था। मेरे मामा श्री हकीम खॉ का इन्तकाल दिनांक 25.03.1988 को हो गया। उक्त वर्णित भूमि श्री हकीमखॉ की स्वअर्जित भूमि थी जिसे उन्हें हर प्रकार से निष्पादन का अधिकार प्राप्त था और उसी के तहत उनके द्वारा मुझ रेस्पो0 संख्या एक को 10 बीघा भूमि की वसीयतनामा निष्पादित करते हुए वसीयत की थी।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 के उक्त प्रार्थना पत्र के कम में तहसीलदार महोदय द्वारा पटवारी हल्का से मौका एवं राजस्व रेकर्ड की रिपोर्ट तलब की गई जिसमे पटवारी हल्का के द्वारा ग्राम भांगेसर की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में ख0सं0 7 रकबा 19.62 बीघा भूमि के खातेदार हकीमखॉ पुत्र बुद्धा खॉ का

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

के 10 बीघा भूमि पर मौके पर 40 वर्षो से प्रार्थीया सईदा उर्फ सदिया का कब्जा काश्त होना बताया। इसके अतिरिक्त श्री हकीमखॉ का देहान्त हो जाना एवं उनके जाईन्दा वारिसान में सतार, कमरूदीन, जैतूनबानों, टीमलीबानो होना बताया तथा प्रार्थीया सईदा को उनकी भान्जी होना बताया। मौके पर उपस्थित मौतबिरान द्वारा बताये अनुसार वसीयत में वर्णित सभी गवाह वर्तमान में फौत हो जाने व एकमात्र वसीयत लिखने वाला घीसू मोहम्मद जीवित हैं। उक्त रिपोर्ट पेश होने पर तहसीलदार महोदय के द्वारा श्री हकीमखॉ के सभी सम्बन्धित वारिसान को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया जिसके क्रम में उनके पुत्र कमरूदीन एवं सतार तहसीलदार कार्यालय में उपस्थित हुए, परन्तु उनको अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जवाब अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया गया, मात्र अपने पिता के विधिक वारिसान होने के आधार पर उनके फौतेदगी नामा0 में अपना नाम दर्ज करने की मांग की गई। तत्पश्चात तहसीलदार महोदय ने वसीयत के साक्षी डीडराईटर घीसू मोहम्मद के बयान से वसीयत को सही व मान्य सिद्ध माना तथा तहसीलदार को वसीयत कूटरचित सिद्ध करने का अधिकार नहीं होने एवं वसीयत को शून्य घोषित करने हेतु समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र बताया। वसीयत के अनुसार नामा0 कार्यवाही करने को सरसरी कार्यवाही मानते हुए उसे हक–अधिकार निर्धारण करने की कार्यवाही नहीं माना। इन सब साक्ष्यों को रेकर्ड पर लेने के उपरान्त तथा वसीयत की सत्यता की गहनता से परीक्षण करने व सम्बन्धित के बयानात इत्यादि लिये जाने के उपरान्त ही तहसीलदार पाली के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में श्री हकीमखॉ के द्वारा निष्पादित की गई वसीयत अनुसार 10 बीघा भूमि का नामा0 दर्ज करने एवं शेष 09.02 बीघा भूमि में श्री हकीमखॉ के कायम मुकामान के नाम से विधिक नामा0 दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2018 को पारित किया गया है जो विधिक प्रकिया अपनाते हुए पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से उचित होने से बहाल रखा जावे तथा अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावें।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस की ओर से वसीयत के फर्जी होने के सम्बन्ध में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी जिसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अपीलान्ट तथ्यों को छुपाते हुए स्वच्छ हाथों से यह अपील लेकर नहीं आये है। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस के द्वारा अप्रीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत हेतु निर्धारित म्याद उपरान्त यह अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई है जो म्याद बाहर मानी जाकर अस्वीकार की जावें। इसके अतिरिक्त एवीडेन्टस एक्ट की धारा 90 के तहत 30 वर्ष पुराने निष्पादित दस्तावेज को साबित करने एवं नहीं माने जाने का कोई कारण नहीं है। रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में वसीयत जो कि दिनांक 17.01.1982 को निष्पादित की गई थी तथा रेस्पो0 संख्या एक का लगभग 40 वर्षो से वादग्रस्त भूमि रकबा 10 बीघा पर लगातार कब्जा काश्त होने के आधार पर तहसीलदार पाली के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक का उक्त भूमि बाबत नामा0 करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो उचित है। अतः अपीलान्ट की

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रतियॉ एवं विभिन्न न्यायालय के द्वारा जारी निर्णय नजीरे इत्यादि पेश किये गये। 2019 डीएनजे 2019 पेज 1030, Citation: 2020 Cr. L.R. एससी 190, Citation: 2020 Cr. L.R. एससी 203, आरआरटी 2012 (1) पेज 512 इत्यादि।

अपीलान्ट के द्वारा अपील के म्याद सम्बन्धी कथनों कि अधिनस्थ न्यायालय के ग्राम भांगेसर में हुए कैम्प कोर्ट दिनांक 9.6.2018 में वह फौतेदगी नामा0 भरवाने हेतु गया तब वहॉ अवगत कराया कि हकीम खॉ के वारिसान के नाम सम्पूर्ण भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण भर देगें इसलिये अपीलान्ट यही विश्वास में रहा कि हमारे नाम नामा0 दर्ज हो जायेगा। बाद में अपीलान्ट गंभीर रूप से बीमार होने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया, तत्पश्चात दिनांक 12.10.2018 को अपीलान्ट के द्वारा ग्राम के व्यक्तियों से चर्चा सुनी कि रेस्पो0 संख्या एक ने वसीयत के आधार पर अपने नाम से नामा0 भरवा कर स्वीकृत करवा लिया है तब उनके द्वारा दिनांक 12.10.18 को ही तहसील कार्यालय पाली में प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 16.10.18 को नकले प्राप्त की, तब जानकारी हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा प्रकट किये गये उक्त कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश दिनांक 03.07.2018 इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि दिनांक 17.01.1982 को हकीम खॉ द्वारा सईदा उर्फ सदिया के पक्ष में ग्राम भांगेसर ख0सं0 07 रकबा 19.02 बीघा में से रकबा 10.00 बीघा भूमि की वसीयत किये जाने का कथन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार हकीम खॉ की मृत्यु दिनांक 25.03.1988 को हो गई थी। सईदा उर्फ सदिया द्वारा वर्ष 2017 में यानि हकीमखॉ की मृत्यु के लगभग 29 साल बाद वसीयत के आधार पर नाम अमलदरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, पाली को प्रार्थना पत्र पेश किया। हकीमखॉ के वारिसान द्वारा भी वर्ष 2018 यानि हकीमखॉ की मृत्यु के लगभग 30 वर्ष बाद फौतेदगी नामा0 भरे जाने हेतु प्रयास प्रारम्भ किये। हालांकि वसीयत अपंजीबद्ध है, पर हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट में सईदा उर्फ सदिया का 10.00 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त पाया गया। इतने सालों तक हकीम खॉ के वारिसान द्वारा सदिया उर्फ सईदा के कब्जे को चुनौती क्यों नहीं दी गई व यह कहना कि वर्ष 2018 में ही इस सम्बन्ध में जानकारी हुई, यह कथन सन्देहास्पद प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मुस्लिम लॉ के अनुसार जायदाद में से हिस्सा विशेष वसीयत किये जाने का भी विवेचन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में सम्पूर्ण तथ्यों के विवेचन का अभाव पाया गया हैं।

अतः उक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2018 को तथा नामा0 संख्या 1865 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर प्रकरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

का निस्तारण किये जाने तक उभय पक्षकारान मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर